श्रीमति रेणु कुमारी कार्यपालक दण्डाधिकारी

न्यायालय
श्रीमती रेणु कुमारी
कार्यपालक दण्डाधिकारी
धनबाद

सोहन कु० गुप्ता
बनाम
शांडिल्य खान

... 14 फारम सं० 562

आदेश पत्रक

देखें अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

... जिला धनबाद

... संख्या 309/17

धारा 107 द.प्र.सं.

Online Entry

पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	तारीख
गोविन्दपुर थाना अप्राथमिकी सं० 06/17 प्राप्त हुआ। अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स.अ.नि/अ.नि गोविन्दपुर द्वारा अग्रसारित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि झगड़ा झंझट एवं गाली गलौज को लेकर स्थानीय परिशांति भंग हो सकती है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं विपक्षी के विरुद्ध धारा 107 द.प्र.सं. की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को निदेश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 14.3.17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने हेतु आपसे 5000/- रूपये का दो सम्प्रतिभुतियों के साथ बंधपत्र लिया जाय।	1.4.17
	27.4.17
	11/5/17
	19/5/17
	30/5/17
	10/6/17
	22/6/17
	8/7/17
	24/7/17
	9/8/17
	24/8/17
	7/9/17
	19/9/17
	4/10/17
	17/10/17
	2/11/17
	17/11/17
	30/11/17
	13/12/17
	26/12/17
	9/01/18
	23/01/18
	7.2.018
	10/2/18 समाप्त

लेखापित एवं शोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद

...2.17

R—44/17

2|6

न्यायालय रेणु कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद।

राष्ट्रीय लोक अदालत, धनबाद

एम.पी. वाद संख्याः—309/17

धारा-107 30 4 ट ह ० ट

10.02.2018	वाद अभिलेख को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद अभिलेख का अवलोकन किया गया। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है तथा उभयपक्ष को वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूची प्रतित नहीं होता है। ऐसा प्रतित होता है कि दोनों पक्षों के बीच अशांति व्याप्त नहीं है। वाद की कार्यवाही कालबाधित हो चुका है। अतः कार्यहित एवं न्यायहित के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 10/02/18 राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्राधिकृत पीठासीन पदाधिकारी, धनबाद।

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.23 15:53:14 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner